न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता

पीठासीन अधिकारी	**–**	**सुनीता आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**550/2016**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**795/2016**
सीएनआर नं	**–**	**RJMR020012322016**
एफ. आई. आर. संख्या	**–**	**54/2015**
आरक्षी केन्द्र	**–**	**पुलिस थाना,मेड़ता रोड़**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, मेड़ता **.....अभियोगी**

बनाम

सम्पत कंवर पत्नी भंवरसिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी दताणी, थाना मेड़ता रोड़, जिला नागौर।
.....अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 18 ए, 19 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थित:–

विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।

श्री चंदन सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्ता।

निर्णय **दिनांक: 09.04.2026**

01– श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के कार्यालय आदेश क्रमांक स्था./26/2015 दिनांक 17.05.2025 की अनुपालना में यह प्रकरण अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता से अंतरित होकर विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– थानाधिकारी पुलिस थाना, मेड़ता रोड़ की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी दिनांक 06.12.2016 को अभियुक्ता श्रीमती सम्पत कंवर के विरुद्ध धारा 193, 420, 467,

468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 18 ए, 19 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया।

03– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी सुनीता ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत दत्ताणी जो पंचायत समिति मेड़ता के अधीनस्थ आती है, जिनके चुनाव दिनांक 01–02–2015 को होने थे, सो पीठासीन अधिकारी सीताराम बलाई, हाल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मकराना जिला नागौर अपनी टीम सहित दिनांक 31–01–2015 को ग्राम दत्ताणी में पहुंचे और वार्डपंच व सरपंच के नामांकन लेने शुरू किए। मुलजिम सम्पत कंवर पत्नी भंवरसिंह निवासी दत्ताणी तहसील मेड़ता जिला नागौर ने नामांकन भरा। जैसा कि राजस्थान सरकार व चुनाव विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए कि सरपंच के पद के लिए आठवीं पास शिक्षा की योग्यता होना अनिवार्य है। सो मुलजिमा सम्पतकंवर ने अपने नामांकन के साथ एक कूटरचिता फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) व साथ ही एक 18A अंकतालिका भी पेश की, जो फर्जी तैयार की हुई है। इस बाबत प्रार्थीनी ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक लिखित में शिकायत पेश की कि यह ट्रांसफर सर्टीफिकेट व अंक तालिका पूर्णतया फर्जी है। मगर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीनी से कहा कि जांच करने का कार्य उसका नहीं है। सो वह तो मुलजिमाना सम्पतकंवर का सरपंच पद का जो नामांकन भरा है, उसे निरस्त नहीं करेगा और पीठासीन अधिकारी ने जब नामांकन खारिज नहीं किया तो चुनाव लडने वाले तीन प्रत्याशी मैदान में रहे। मुलजिमा सम्पत कंवर का पीहर बड़गांव है। सम्पतकंवर कभी भी कोटा में नहीं रही न ही शिक्षा ग्रहण की। जिस प्रकार से समस्त राजस्थान में फर्जी टी.सी. व अंकतालिका बनाने वाले गिरोह ने हजारों फर्जी टी.सी. व अंक तालिकाएं जारी की है। उसी के अनुसार मुलजिमा सम्पतकंवर ने भी ऐसे ही गिरोह से सन्पर्क कर सरपचं पद के लिए योग्यता न रखते हुए भी उपरोक्त बताई फर्जी टी.सी. व फर्जी अंकतालिका के आधार पर नामांकन भी भरा और चुनाव भी लड़ और योग्यता न रखते हुए चुनाव में विजयी भी घोषित कर दिया। प्रार्थीनी ने चुनाव निर्वाचन अधिकारी नागौर के यहां से मुलजिमा सम्पतकंवर का नामांकन व नामांकन के साथ जो फर्जी टी.सी. व अंकतालिका पेश की, उनकी नकलें ली, सो साथ में पेश है। मुलजिमा सम्पतकंवर व उसका पति व ससुर व कैम्ब्रिज एकेडमी के प्रधानाध्यापक वगैराह ने कूटरचना रच कर सम्पतकंवर का फर्जी टी.सी. व अंकतालिका बनाकर पेश की, जबकि सम्पतकंवर ना तो कभी कोटा रही ना वहां पढाई की।

सम्पतकंवर आठवीं पास नहीं है, इसलिए वह सरपंच के लिए के चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखती है। उसके बावजूद सम्पतकंवर ने ग्राम पंचायत दत्ताणी के सरपचं पद का नामांकन भरा व चुनाव लड़ा और उसे विजयी घोषित किया। जबकि सम्पतकंवर जब चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखती थी, फिर भी मुलजिमा ने फर्जी तरीके से चुनाव लड़ा। मुलजिमा सम्पतकंवर व उसके पति व ससुर बहुत ही होशियार व चालाक प्रवृत्ति के है। मुलजिमा सम्पतकंवर ने सन 1995 से पूर्व एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम सीमाकंवर है। उस लड़की को चुनाव लड़ने के उद्देश्य से शुरू से ही सम्पतकंवर ने अपनी पुत्री को अपने ससुर गोपालसिंहजी की पुत्री होना राशन कार्ड में व अन्य स्थानों पर बताया। जबकि सीमाकंवर तो मुलजिम सम्पतकंवर की पुत्री है। वह सम्पतकंवर के तीन सन्तान होने से सम्पतकंवर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थी। यानी 3 सन्तान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी। इस बाबत भी प्रार्थीनी ने पीठासीन अधिकारी के यहां नामांकन निरस्त करने बाबत निवेदन किया था। मगर पीठासीन अधिकारी ने सम्पतकंवर का नामांकन निरस्त नहीं किया और चुनाव लड़वा दिया। सो सम्पतकंवर ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होने के कारण भी चुनाव लड़ा। प्रार्थीनी ने उपरोक्त अंकतालिका के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कोट के यहां दिनांक 03–03–2015 को व 09–03–2015 को प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी तब जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक जिशिअ/मा/को/सू.अ. /2014/1208 के द्वारा दो पत्र प्रार्थीनी को भेजे। जिसमें उन्होंने दिनांक 24–03–2015 को यह लिखा कि जो प्रार्थीनी ने सूचना के अधिकार के तहत जिन दस्तावेज की नकल चाही है व दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। ये पत्र प्रार्थीनी को दिनांक 09–04–2015 को प्राप्त हुआ। सो प्रार्थीनी को इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि मुलजिमान ने कूटरचना करर फर्जी अंक तालिका आठवीं पास की तैयार की है। प्रार्थीनी ने सूचना के अधिकार के तहत जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसकी प्राप्ती सहित प्रार्थना पत्र व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो उपरोक्त पत्र प्रार्थीनी को मिले, उसकी नकल रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रार्थीनी के परिवार के मुखिया गोविन्दराम ने एक लिखित में प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के यहां दिनांक 09–03–2015 को पेश किया। इस प्रार्थना पत्र की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रार्थीनी के हस्ताक्षर भी किए व प्रार्थीनी ने 20/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर भी दिनांक 09–03–2015 को पेश किया। जिसके

नम्बर 15 जी–551510 है, जिसकी भी फोटो कॉपी साथ में पेश है। मगर प्रार्थीनी को कोई नकल नहीं दी व नकल देते भी कहा से। जब मुलजिमान ने शिक्षा ग्रहण की ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मुलजिमान द्वारा कूट रचना रचकर जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए है, और अपराध को कारित किया है। प्रार्थीनी ने कैम्ब्रिज एकेडमी बसन्त विहार माताकिर नगर विस्तार योजना के कोटा के यहां रजिस्टर्ड मय पोस्टल ऑर्डर सहित पूर्ण विवरण, रजिस्टर्ड पत्र से भेजा। मगर उपरोक्त विद्यालय संस्थान उप रजिस्टर्ड पत्र को लेने से इंकार कर दिया। प्रार्थीनी ने जो 20 रूपये का पोस्टल ऑर्डर भेजा। उसके नम्बर 15 जी 501508 है, जिसकी फोटो कॉपी व सूचना के अधिकार के तहत पेश किए गए प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी साथ में पेश है। मुलजिमान को यह पता है कि सम्पतकंवर ने उपरोक्त विद्यालय संस्थान में शिक्षा प्राप्त ही नहीं की तो रिकॉर्ड कहा से होता। ऐसी परिस्थितियों में सम्पतकंवर उनके परिवार के सदस्य एवं उपरोक्त विद्यालय संस्थान ने जो कूट रचना रचकर फर्जीवाड़ा किया है, उसका पूर्ण खुलासा हो गया है। मुलजिमा सम्पतकंवर ने ही उपरोक्त संस्थान से फर्जी टी.सी. से प्राप्त की है। उसके साथ करीब 40 से 50 और सरपंच का चुनाव लड़ने वालों ने भी फर्जी टी.सी. प्राप्त की है, जिसकी जांच चल रही है व कई लोग जेल जा चुके है, जिसकी जानकारी राजस्थान पत्रिका दिनांक 27.03.2015 व 11.04.2015 के समाचार पत्रों से होती है। इन समाचार पत्रों की फोटो कॉपी साथ में पेश है....इत्यादि ।

04– उक्त इस्तगासा पर थानाधिकारी, पुलिस थाना मेड़ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 18 ए, 19 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 18 ए, 19 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

05– अभियुक्ता को अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 18 ए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही

गई।

06– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया –

–:अभियोजन न्यायालय गवाह सूची:–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	बाबुलाल	मौतबीर फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्ट्रार क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा
पीडब्ल्यू–2	कैलाश	मौतबीर फर्द पेशकर्ता शैक्षणिक दस्तावेज संपत कंवर द्वारा
पीडब्ल्यू–3	रामलाल	मालखाना
पीडब्ल्यू–4	हनुमान सिंह	मौतबीर फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्ट्रार क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा
पीडब्ल्यू–5	गोविंद राम	गवाह
पीडब्ल्यू–6	नवल किशोर	गवाह
पीडब्ल्यू–7	हजारीराम	गवाह
पीडब्ल्यू–8	लच्छाराम	संतान की संख्या बाबत गवाह
पीडब्ल्यू–9	सुनीता	परिवादिया
पीडब्ल्यू–10	छीतर सिंह	कायमी मुकदमा/तफ्तीशी हालात
पीडब्ल्यू–11	सीताराम	टी.सी. संबंधी गवाह
पीडब्ल्यू–12	जगदीशचंद	गवाह
पीडब्ल्यू–13	रामअवतार शर्मा	गवाह
पीडब्ल्यू–14	सुरेन्द्र कुमार मीणा	तफ्तीशी हालात व चार्जशीट कता संबंधी

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाए–

–:अभियोजन/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	फर्द जप्ती शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिका	प्रदर्श पी–1
2	फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्टर 1988–1992–93	प्रदर्श पी–2
3	रजिस्टर मालखाना की प्रति	प्रदर्श पी–3 ए
4	क्रैम्ब्रिज अकादमी का दाखिला रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी–4 ए
5	पंचायत रजिस्टर	प्रदर्श पी–5
6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–5
7	टाईपशुदा रिपोर्ट	प्रदर्श पी–6
8	मार्कशीट कक्षा 8 सम्पत कंवर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–7
9	पहचान पत्र	प्रदर्श पी–8
0	परिवार कार्ड भंवरसिंह	प्रदर्श पी–9
11	आधार कार्ड सम्पत कंवर	प्रदर्श पी–10

12	स्वच्छ शौचालय के संबंध में अण्डरटेकिंग	प्रदर्श पी–11
13	शपथ–पत्र सम्पत कंवर	प्रदर्श पी–12
14	अदेय प्रमाण–पत्र	प्रदर्श पी–13
15	रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्त का आदेश	प्रदर्श पी–14
16	जांच प्रतिवेदन द्वारा आदर्श राज. उच्च मा. वि. बसन्त विहार कोटा	प्रदर्श पी–15 ए
17	प्रारूप घ	प्रदर्श पी–16
18	जप्तशुदा रजिस्टर	आर्टिकल–1

07– अभियुक्ता श्रीमती सम्पत कंवर को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्ता ने कथन किया कि वह निर्दोष है। 8 वीं पास है। राजनीतिक द्वैषता के कारण झूठा मुकदमा किया जाने का कथन करते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा तथा सूची अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित करवाये–

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	टी.सी. क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा श्रीमती सम्पत कंवर	प्रदर्श डी–1
2	मार्कशीट असल सम्पत कंवर कक्षा 8	प्रदर्श डी–2
3	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी गोविंदराम	प्रदर्श डी–3
4	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी नवल किशोर	प्रदर्श डी–4
5	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी सुनीता	प्रदर्श डी–4
6	राशन कार्ड ए.पी.एल. बनवाने हेतु आवेदन पत्र भंवरसिंह	प्रदर्श डी–5
7	ग्राम पंचायत दताणी द्वारा थानाधिकारी को पत्र वास्ते राशन कार्ड की प्रति	प्रदर्श डी–5
8	नाम निर्देशन पत्र सम्पत कंवर	प्रदर्श डी–5
9	क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा श्रीमती सम्पत कंवर	प्रदर्श डी–6
10	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी सीताराम	प्रदर्श डी–6
11	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी रामअवतार	प्रदर्श डी–7

08– बहस अन्तिम सुनी गई।

09– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या अभियुक्ता श्रीमती सम्पत कंवर ने ग्राम पंचायत दत्ताणी के चुनाव दिनांक 01.02.2015 में पीठासीन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय स्वयं को चुनाव लड़ने हेतु योग्य दर्शाने के उद्देश्य से बेईमानी एवं कपटपूर्वक कूटरचित टी.सी. तथा कक्षा 8 उत्तीर्ण

होने की कैम्ब्रिज अकादमी, कोटा की फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत की गई तथा अपनी तीसरी संतान सीमाकंवर को अपनी संतान होना जानबूझकर छिपाया गया। अभियुक्त ने उक्त कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को पात्र घोषित करवाने हेतु लोक सेवक को प्रवंचित किया और छलपूर्वक चुनाव लड़ा। इस प्रयोजन से अभियुक्त ने लोक को क्षति पहुँचाने के आशय से फर्जी एवं कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेजों की कूट रचना की तथा उन्हें छल के प्रयोजन से उपयोग में लिया और कूटरचित जानते हुए उन्हें असली के रूप में प्रयुक्त किया एवं अभियुक्ता ने शपथ–पत्र व विधि के अधीन सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए भी स्वयं को कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा तीसरी संतान न होने का मिथ्या कथन किया, जिससे लोक सेवक द्वारा गलत राय कायम की जाए और अभियुक्ता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण एवं शुद्धीकरण में भी उक्त तथ्यों की मिथ्या घोषणा की गई? यदि हाँ तो अभियुक्ता किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है”?

10– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्ता ने कैम्ब्रिज अकादमी बसन्त बिहार महावीर नगर विस्तार योजना कोटा में 15.07.1989 में कक्षा 6 में प्रवेश लेना बताया है, जबकि स्कूल के अध्यक्ष नवल किशोर ने अपने बयानों में सन् 1991 में कक्षा 6 शुरू होना बताया है और स्कूल के प्रवेश रजिस्टर पर प्रवेशांक 54 पर अभियुक्ता सम्पतकंवर का नाम ना होकर एकता शर्मा का नाम अंकित होने तथा अभियुक्ता के स्कूल में कभी भी प्रवेश नहीं लिया जाना जाहिर किया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत मार्कशीट, टी.सी. फर्जी है तथा अभियुक्ता ने इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा है। इसकी पुष्टि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के बयानों से होती है। अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराधों को साबित किया है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित करने का निवेदन किया।

11– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता ने उपरोक्त तर्कों के विरोध में दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन के अधिकांश गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की हैतथा उनके कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहो ने न्यायालय साक्ष्य में अभियुक्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सही होना स्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से स्कूल की मान्यता के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं

करवाये हैं। इसके साथ ही प्रस्तुत रजिस्टर को सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया जाने से साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है तथा स्कूल के तत्कालीन प्रधानाध्यापक (1989 से 1992) को जानबूझकर साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। इसके साथ ही अभियोजन का अन्य आरोप अभियुक्ता के तीन संतान होने का रहा है, परंतु अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू–8 लच्छाराम ने अपनी न्यायालय साक्ष्य में अभियुक्ता के 2 संतान होने का कथन किया है एवं अनुसंधान अधिकारी ने भी अपनी जांच में अभियुक्ता के 2 संतान होने का कथन किया है। अतः अभियुक्ता को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

12– बहस उभयपक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 14 गवाहान को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:-

13– गवाह पीडब्ल्यू–01 बाबुलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 13.08.2015 को पुलिस थाना मेड़तारोड में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज उसके समक्ष मु. नं. 54/15 में मुलजिमा सम्पत कंवर ने अपने असल शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 8 की टी.सी. व कक्षा 8 की अंकतालिका आई.ओ. छित्तरसिंह को पेश की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् दिनांक 17.08.2016 को नवलकिशोर ने कोटा शहर में एक असल प्रवेशांक रजिस्टर 1988 से 1992–93, कैम्ब्रिज अकादमी, महावीर नगर, विस्तार योजना, कोटा का सुरेन्द्र ए.एस.आई. को पेश किया था, जिसकी फर्द जब्ती उसके समक्ष मूर्तिब की गई थी, जो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसके समक्ष प्रदर्श डी–1 व प्रदर्श डी–2 पेश किए थे, जिन पर प्रधानाध्यापक की मोहर है तथा सम्पत कंवर के हस्ताक्षर हैं। उन पर रजिस्ट्रेशन नं. 33/88, कैम्ब्रिज अकादमी, बसन्त विहार, महावीर नगर, विस्तार योजना, कोटा लिखा हुआ है तथा राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता लिखा हुआ है। प्रदर्श डी–1 सम्पत कंवर की मूल टी.सी. है तथा प्रदर्श डी–2 सम्पत कंवर की कक्षा 8 की मूल अंकतालिका है, जो सही है। वही ही पेश की थी।

14– गवाह पीडब्ल्यू–02 कैलाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि लगभग दो वर्ष पहले की बात है। पुलिस थाना मेड़ता रोड़ में उसके समक्ष संपत कंवर ने कक्षा 8 की टी.सी.

और मार्कशीट थानाधिकारी को पेश की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि प्रदर्श पी–1 का ई से एफ हिस्सा सम्पत कंवर ने उसके समक्ष नहीं लिखवाया था।

15– गवाह पीडब्ल्यू–03 रामलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 19.08.2016 को पुलिस थाना मेडतारोड़ में एच.सी. के पद पर तैनात था व मालखाना इंचार्ज था। उस रोज सुरेन्द्र मीणा ए.एस.आई. ने मुकदमा नं. 54/15 पुलिस थाना मेड़तारोड़ में एक प्रवेशांक रजिस्टर सन 1988–89 से 92–93 केन्द्रीय एकेडमी महावीर विस्तार नगर योजना, कोटा का जब्तशुदा उसे जमा मालखाना करवाया। जिसका उसने मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 279/16 पर इन्द्राज किया। असल रजिस्टर प्रदर्श पी 3 है तथा प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3 ए है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि जप्तशुदा रजिस्टर में सील लगी हो तो उसे पता नहीं है। जप्तशुदा रजिस्टर को सील पैक नहीं किया न ही सील मोहर है। मालखाना रजिस्टर में माल जमा करवाया उसके हस्ताक्षर नहीं है।

16– गवाह पीडब्ल्यू–04 हनुमानसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.08.2016 को मेड़ता रोड़ थाना पुलिस आई थी, उन्होंने उसको गवाह बनाकर कैम्ब्रिज अकादमी महावीर नगर विस्तार कोटा का प्रवेश रजिस्टर 1988 से 1992–93 को जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्टर बनाकर उसके हस्ताक्षर करवाये थे, वो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मूल रजिस्टर पुलिस ने उसके सामने जप्त किया था, जो आर्टिकल–1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 17 अगस्त 2016 को जप्त किया था। बयान पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था। बाद में उसने हस्ताक्षर किये थे। नवल किशोर गौड़ उसके मित्र लगते है। उसके समक्ष नवल किशोर के हस्ताक्षर एक कागज पर करवाये थे। उसके समक्ष आर्टिकल–1 पर नवल किशोर के हस्ताक्षर करवाये थे। जिस पर हस्ताक्षर करवाये उस पर थाने वालों ने सील नहीं लगाई।

17– गवाह पीडब्ल्यू–05 गोविंदराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 01 फरवरी 2015 की बात है। उस समय पंचायती राज में सरपंच के चुनाव थे। उस दिन उसने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जो दत्ताणी ग्राम पंचायत के लिए किया था। उस दिन उसके सामने प्रत्याशी सम्पत कंवर ने भी अपना पर्चा दाखिल किया था। सम्पत कंवर के पर्चा

दाखिल करने पर उसे जानकारी मिली कि सम्पत कंवर ने शैक्षणिक सम्बन्धी जो कागजात लगाए थे, वे फर्जी थे एवं संतान सम्बन्धी शपथ–पत्र भी गलत पेश किया था। इसकी शिकायत उन्होंने पीठासीन अधिकारी से की थी, जिन्होंने उस शिकायत को अनसुना कर दिया था। चुनाव होने के बाद उसने निर्वाचन कार्यालय न जाकर सम्पत कंवर के नामांकन के सम्बन्ध में सभी कागजात निकलवाए, तो उसमें शैक्षणिक सम्बन्धी कागजात में टी.सी. कोटा से प्राप्त आठवीं पास करने का हवाला दे रखा था, लेकिन वह कभी कोटा में नहीं रही एवं न ही वहाँ पर पढ़ी थी। फिर वह कोटा जाकर उस स्कूल में सम्पर्क किया, तो वह स्कूल बंद पड़ी हुई मिली। उस स्कूल के संचालक नवलगौड़ से सम्पर्क किया, तो उन्होंने काफी वर्ष पूर्व स्कूल को बंद करना बताया था। उन्होंने बताया कि न तो कभी सम्पत कंवर नाम की महिला ने वहाँ पर पढ़ाई की एवं न ही उसने वहाँ प्रवेश लिया था। फिर उसने बी.ओ. कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया, तो वहाँ पर उक्त टी.सी. का सत्यापन कराया गया, जहाँ उसे उक्त टी.सी. फर्जी होना बताया गया। संतान सम्बन्धी दस्तावेजात सम्पत कंवर ने पेश किए, उसमें दो संतान होना बताया, जबकि उसकी तीन संतान हैं। उसकी बड़ी बेटी सीमा कंवर का नाम उसने अपने ससुर गोपालसिंह के राशन कार्ड में दर्ज करवा दिया था, जबकि सीमा कंवर वास्तव में सम्पत कंवर की बेटी है। इसलिए सम्पत कंवर ने नामांकन के दौरान आठवीं पास की टी.सी. व संतान सम्बन्धी दस्तावेजात फर्जी होने की जानकारी होने के बावजूद कूटरचित दस्तावेजात लगाकर चुनाव लड़ा एवं धोखाधड़ी की थी। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि चेनाराम सरपंच 2010 से 2015 के बीच दत्ताणी में रहा था। राशन कार्ड पर चेनाराम सरपंच है, क्योंकि चेनाराम उससे पूर्व में सरपंच रहे थे, इस वजह से वह जानता है। राशन कार्ड में ईबारत ग्राम पंचायत दत्ताणी की लिखी हुई है। चेनाराम सरपंच थे। उस समय ईबारत पंचायत में भरी गई थी, जिसमें मुलजिमा सम्पत कंवर की दो संतान लिखी हुई हैं, जो एक पुत्र व एक पुत्री लिखी हुई हैं। 01 फरवरी 2015 को उसकी ग्राम पंचायत में महिला के लिए सीट आरक्षित थी। मुख्य परीक्षा के हिस्से में "उस दिन उसने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जो दत्ताणी ग्राम पंचायत के लिए किया था" लिखा हुआ है, जो सहवन से लिखवा दिया गया था। उसने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया था। प्रदर्श डी–01 टी.सी. कोटा से लेकर आया था। उसने स्वयं कहा कि उसके साथ सरपंच प्रत्याशी सुनिता भी थी। प्रदर्श डी–01 सही है। प्रदर्श डी–02 मार्कशीट वह व सुनीता लेकर आए थे, जो सही है। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। वह सम्पत कंवर के भाई को

नहीं जानता है। उसने सम्पत कंवर के कोटा में नहीं रहने बाबत उसके पीहर से जानकारी प्राप्त की थी, जो किससे की थी, यह उसे आज पता नहीं है। सीमा कंवर के पिता का नाम भंवरसिंह है, जिसकी तफ्तीश उसने स्कूल से नहीं ली थी। सीमा कंवर स्कूल में पढ़ती थी। उसने स्वयं कहा कि उसे पता नहीं है कि सीमा कंवर क्या करती है। सम्पत कंवर के पर्चा दाखिल करने पर उसे जानकारी मिली कि सम्पत कंवर ने शैक्षणिक सम्बन्धी जो कागजात लगाए थे, वे फर्जी थे एवं संतान सम्बन्धी शपथ–पत्र भी गलत पेश किया था। पुलिस बयान प्रदर्श डी–03 में "इसकी शिकायत उन्होंने पीठासीन अधिकारी से की थी, जिन्होंने उस शिकायत को अनसुना कर दिया था" यह तथ्य उसने लिखवाया था। पुलिस वालों ने क्यों नहीं लिखा, उसे पता नहीं है। प्रदर्श डी–01 व डी–02 वह व सुनिता साथ में जाकर दस्तावेज लेकर आए थे, जो थाने में पेश किए थे। प्रदर्श डी–01 व डी–02 सूचना के अधिकार के तहत कोटा से प्राप्त किए थे। रिपोर्ट कराने वह सुनिता के साथ ही थाने गया था। पुलिस बयान प्रदर्श डी–03 में "उस दिन दाखिल किया था", यह नहीं लिखवाया था। नाम निर्देशन फॉर्म निकलवाकर लाया था, जो मिसल में शामिल है। अदेय प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत से जारी नहीं होता है, पंचायत समिति से जारी होता है। सम्पत कंवर का भाई नरपतसिंह कोटा में ठेकेदारी का काम करता है। वह कोटा कब गया था, तारीख उसे याद नहीं है। उसने स्वयं कहा कि चुनाव के करीब डेढ़ माह बाद गया था। उसे जानकारी नहीं है कि इसके सम्बन्ध में किसी गिरोह को मेड़तारोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था या नहीं। अखबार से गिरोह की जानकारी उसे मिली थी, बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिस को स्कूल वालों ने कागजात पेश नहीं किए थे। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

18– गवाह पीडब्ल्यू–06 नवलकिशोर गौड़ ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि कैम्ब्रिज अकादमी विद्यालय वर्ष 1988 में खोला गया था, जो पाँचवीं कक्षा तक था। छठी कक्षा वर्ष 1991 में चलाई गई थी। उसके स्कूल के प्रवेशांक रजिस्टर 1989 का अवलोकन किया गया, तो क्रम संख्या 54 पर सम्पत कंवर पुत्री डुंगरसिंह राजपूत, निवासी बड़गांव का नाम दर्ज नहीं था। क्रम संख्या 54 पर एकता शर्मा पुत्री ओ.पी. शर्मा का पंजीयन था। सम्पत कंवर ने उसके विद्यालय में न तो प्रवेश लिया था और न ही वह वहाँ पढ़ी थी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–02 प्रवेश रजिस्टर है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय के समक्ष एक रजिस्टर आर्टिकल–1 कोर्ट

एफ.सी. जगदीश ने पेश किया। आर्टिकल–1 रजिस्टर देखकर गवाह ने कहा कि यह उसने दिनांक 17.08.2016 को पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि कैम्ब्रिज अकादमी विद्यालय, कोटा का अध्यक्ष वह स्वयं था। उक्त स्कूल सोसायटी चलाती थी। उक्त स्कूल को वर्ष 2008 में बंद कर दिया गया था। उक्त सोसायटी ने स्कूल के दस्तावेजात को पंजीकरण बाबत सरेंडर नहीं किया था। यह सही है कि सोसायटी स्कूल में हर वर्ष ऑडिट होता था। जिला शिक्षा अधिकारी कभी भी चेकिंग के लिए नहीं आए थे। हर वर्ष सी.ए. से ऑडिट करवाते थे। यह सही है कि वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक आर्टिकल–1 का सत्यापन या ऑडिट नहीं कराया गया था। यह सही है कि आर्टिकल–1 पर पेज नंबर 1 से लेकर 28 तक उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, अंतिम पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल–1 में ए से बी हिस्सा ईबारत प्रवेश क्रम संख्या 1 से 385 तक का है, जो अगले प्रवेश रजिस्टर क्रम संख्या 2 में है। वह क्रम संख्या 2 रजिस्टर उसने पुलिस को सुपुर्द नहीं किया था। आर्टिकल–1 पर फर्द जब्ती चस्पा पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं कराए गए थे। आर्टिकल–1 पर पुलिस ने उसके कहीं भी रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं कराए थे। आर्टिकल–1 प्रवेश रजिस्टर है, जिसमें कोई विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो उसकी प्रविष्टि होती है तथा फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। स्कूल बंद करने के बाद उसने प्रवेश रजिस्टर जमा नहीं कराया था। उक्त रजिस्टर को पुलिस द्वारा जमा करने के बाद उसकी फोटोप्रति उसे दी गई थी। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। वर्ष 1991 से छठी कक्षा चालू की गई थी। टी.सी. जारी की जाती थी, उसका इंद्राज किया जाता था। किन–किन को टी.सी. जारी की गई, इसकी प्रति उसने पुलिस को नहीं दी थी। उसने स्वयं कहा कि पुलिस ने माँगी नहीं थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 का ए से बी भाग उसने लिखवाया था। पुलिस ने उससे स्कूल के पंजीयन क्रमांक के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। सोसायटी में कौन–कौन सदस्य थे, उसे आज याद नहीं है। करीब 21 सदस्य थे। यह कहना गलत है कि जब वह अनुपस्थित रहता था, उस समय सोसायटी का कोई अन्य सदस्य कार्य करता था। यह कहना गलत है कि आर्टिकल–1 में उसके स्कूल की सील लगी हुई नहीं है। यह सही है कि आर्टिकल–1 में उसके स्कूल का पंजीयन क्रमांक दर्ज नहीं है। उसके स्कूल में सन् 1988 से 2008 तक कौन–कौन प्रधानाध्यापक थे, उसे आज याद नहीं है। उसने स्वयं कहा कि रजिस्टर में दर्ज है। उसके स्कूल में उसके अलावा कोई अन्य प्रधानाध्यापक नहीं था। पुलिस ने उससे ऐसा कोई दस्तावेज नहीं माँगा था, जिससे यह सिद्ध हो कि वह इस स्कूल का

प्रधानाध्यापक, संचालक या अध्यक्ष था।

19– गवाह पीडब्लयू–07 हजारीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि फरवरी 2015 में सरपंच चुनाव हुए थे, जो ग्राम पंचायत दत्ताणी के सरपंच पद पर सम्पतकंवर पत्नी भंवरसिंह ने नामांकन किया था। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र लगाया गया था, जो मार्कशीट पेश की गई थी, वह फर्जी थी। चुनाव अधिकारियों को मौके पर बोला गया था कि गोविंदराम जी ने कहा था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। फर्जी टी.सी. का मुकदमा दर्ज कराया गया था। गोविंदराम व वह कोटा नवलजी गौड़ की स्कूल में गए थे। सम्पतकंवर का उक्त स्कूल में कोई नामांकन–संबंधी दस्तावेज नहीं था। फिर वे बी.ई.ओ. ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी सम्पतकंवर का नामांकन नहीं था। सम्पतकंवर की तीन संतानें थीं। उसने सीमा कंवर का नाम नामांकन में नहीं दिखाया था। सीमा कंवर को गोपालसिंह के नाम करा दिया गया था, जो वास्तव में भंवरसिंह की थी, जो बड़ी वाली पुत्री थी। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 01.02.2015 को गोविंद सिरोही ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, जो चुनाव हार गया था। यह सही है कि गोविंद सिरोही ने लिखित में शिकायत दी थी। वह व गोविंद सिरोही कोटा गए थे एवं टी.सी. व मार्कशीट लेने गए थे, लेकिन स्कूल बंद थी। फिर वे तीन बार कोटा गए थे। तीन बार कोटा जाने के बाद उन्हें मार्कशीट व टी.सी. कोटा में मिली थी। अजखुद कहा, मिली नहीं थी, लिखकर दी गई थी। वह दसवीं पास है। उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। आज कोर्ट में पहली बार बयान देने आया है। वह पुलिस के साथ कभी कोटा नहीं गया था। गोविंद सिरोही सौ वोट से हारे थे। उसे सीमा कंवर का राशन कार्ड देखने का काम पड़ा था। अजखुद कहा, वर्ष 1993 में राशन कार्ड में नाम था, जिसकी प्रति मुकदमे में दी गई थी। प्रदर्श डी–05 भंवरसिंह का राशन कार्ड नहीं है, फॉर्म है, जिस पर ग्रामसेवक पदेन की सील लगी हुई है एवं साइन है। वह तीन बार कोटा वर्ष 2015 में गया था। प्रथम बार जुलाई 2015 में गया था तथा दूसरी बार अगस्त 2015 में गया था। तीसरी बार नवंबर 2015 में कोटा गया था। तीनों बार ही गोविंद सिरोही साथ था। सुनीता उनके साथ कभी कोटा नहीं गई थी। वह थाने में मुकदमा कराने नहीं गया था। अजखुद कहा, कोर्ट से मुकदमा किया था। कोर्ट में मुकदमा गोविंद सिरोही ने पेश किया था। अजखुद कहा, सुनीता ने साथ में पेश किया था। यह कहना सही है कि गोविंद सिरोही ने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन गोविंद सिरोही ने मुकदमा किया था।

20– गवाह पीडब्लयू–08 लच्छाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 25.05.2025 को दताणी में ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित था। पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार भंवरसिंह पुत्र गोपाल सिंह के कुल दो संतान है। एक लड़का गोविंदसिंह व लड़की गगन कंवर है, जिसका इन्द्राज क्र.सं. 55 पर है, जो रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5 है। प्रमाणित प्रति राशनकार्ड जो प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

21– गवाह पीडब्लयू–09 सुनीता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2015 की बात है। उस समय पंचायत के चुनाव हो रहे थे। दत्ताणी की ग्राम पंचायत के चुनाव में तीन उम्मीदवार खड़े हुए थे। वह, सम्पतकंवर एवं आमना, ये तीनों सरपंच पद के लिए उम्मीदवार थे। सम्पतकंवर ने नामांकन भरते समय फर्जी टी.सी. पेश की एवं संतान संबंधी विवरण में तीन बच्चे होते हुए भी दो बच्चे दर्शाए थे। उक्त टी.सी. कोटा की थी, जहाँ सम्पतकंवर कभी नहीं गई थी एवं न ही उसने कोटा की कैम्ब्रिज अकादमी से पढ़ाई की थी। उसने कैम्ब्रिज अकादमी, कोटा से फर्जी टी.सी. प्राप्त की थी, जिसमें उसने अपने आप को आठवीं पास बताया था। सम्पतकंवर के तीन बच्चे हैं, जिनमें तीनों लड़कियाँ हैं। सन् 1995 में सम्पतकंवर की लड़की सीमा कंवर का जन्म हुआ था, जिसे उन्होंने अपने ससुर के नाम से गोदनामा कर दिया था। उसने पीठासीन अधिकारी को उक्त दोनों बातों की शिकायत की थी, जो 31.01.2015 को की गई थी। उन्होंने उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। थाने में मुकदमा किया गया था। उसके बड़े भाई साहब गोविंदजी सिरोही ने कोटा जाकर जाँच–पड़ताल की थी, तो वहाँ पर पता चला कि सम्पतकंवर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–06 है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वर्ष 2015 में भंवरसिंह व गोविंदसिंह, उसके जेठ, ने ग्राम पंचायत दत्ताणी में चुनाव लड़ा था। यह सही है कि वह कभी कोटा नहीं गई थी तथा न ही वह कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर सूचना लेने गई थी। उसने पीठासीन अधिकारी को दरख्वास्त नहीं लगाई थी, उसके जेठ गोविंदजी सिरोही ने लगाई थी। प्रदर्श पी–06 पर ए से बी तक के हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। पुलिस में उसके बयान हुए थे। उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी–04 में यह लिख दिया था कि सीमा कंवर को सम्पतकंवर ने अपने ससुर को गोद दे दिया, इसमें क्यों नहीं, उसे पता नहीं है। उसने प्रदर्श डी–04 में यह भी बता दिया था कि पीठासीन अधिकारी को उसने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। प्रदर्श डी–04 में क्यों लिखा है, उसे

पता नहीं है। उसका सम्पतकंवर के घर पर जाने का कभी काम नहीं पड़ा। सम्पतकंवर की तीन लड़कियाँ हैं, यह उसने राशन कार्ड में देखी थीं। सम्पतकंवर का भाई नरपतसिंह कोटा में काम करता है या नहीं, यह उसे पता नहीं है। प्रदर्श डी–04 का ए से बी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। उसने स्कूल में जाकर कोटा में यह पता नहीं किया था कि सम्पतकंवर के नाम का इंद्राज है या नहीं। प्रदर्श डी–04 का सी से डी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। प्रदर्श डी–04 का ई से एफ हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। जी से एच हिस्सा भी उसने नहीं लिखवाया था। प्रदर्श डी–04 का आई से जे हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। उसकी शादी वर्ष 2003 में हुई थी। प्रदर्श डी–04 का के से एल हिस्सा लिखवाया हो, तो उसे पता नहीं है। प्रदर्श डी–05 व प्रदर्श डी–06 दस्तावेजात उसने नहीं निकलवाए थे। प्रदर्श डी–01 व डी–02 उसके जेठ कोटा से लेकर आए थे, जो दस्तावेजात उसके जेठ ने पुलिस वालों के समक्ष पेश किए थे, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मंगवाए गए थे। वह बारहवीं पास है। उसने सम्पतकंवर के विरुद्ध चुनाव याचिका पेश की थी, जो ए.सी.जे.एम. कोर्ट, मेडता में पेश की गई थी, जो खारिज हो गई थी। अब वह इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

22– गवाह पीडब्लयू–10 छीतरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 25.04.2015 को थानाधिकारी के पद पर पुलिस थाना मेडतारोड पर पदस्थापित था। उस रोज जरिए डाक श्रीमती सुनिता की टाइपशुदा रिपोर्ट थाना हाजा पर प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा प्रकरण संख्या 54/15 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। परिवादी की रिपोर्ट प्रदर्श पी–06 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ पुलिस कार्यवाही का अंकन है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान के दौरान उसने परिवादिया सुनिता, हजारीराम, तुलछाराम, सीताराम व गोविंदराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए। श्रीमती सम्पतकंवर ने अपने असल दस्तावेजात पेश किए, जिनकी फर्द पेशकशी प्रदर्श पी–01 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा आई से जे सम्पतकंवर के हस्ताक्षर हैं। उसी दौरान उसका स्थानांतरण हो जाने से पत्रावली उसने श्री सुरेन्द्र, ए.एस.आई. को सुपुर्द की। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि प्रदर्श पी–05 में कॉलम संख्या 14 पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। परिवादिया सुमित्रा थाने में आकर रिपोर्ट पेश नहीं की थी। उसके अनुसंधान में सम्पतकंवर के तीन बच्चे होने की बात नहीं आई, क्योंकि उसने प्रदर्श पी–05 व डी–05 लिए थे,

जिनमें बच्चों के दो नाम थे। प्रदर्श डी–05 दस्तावेजात उसने लिए थे, जिन्हें पत्रावली में शामिल किया गया। उसने स्कूल संचालक कैम्ब्रिज से तफ्तीश नहीं की थी। गवाह सुनिता, हजारीराम, तुलछाराम, सीताराम व गोविंदराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए थे। एफ.आई.आर. के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे। प्रदर्श पी–01 के अनुसार असल दस्तावेजात सम्पतकंवर ने पेश किए थे। उसने अपने अनुसंधान के दौरान मूल रजिस्टर वगैरह नहीं लिए थे। प्रदर्श डी–01 व डी–02 पर उसने अनुसंधान नहीं किया। अजखुद कहा, स्थानांतरण हो जाने से उसने अनुसंधान नहीं किया।

23– गवाह पीडब्लयू–11 सीताराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2015 में पंचायत दत्ताणी के पंचायत चुनाव में वह पीठासीन अधिकारी था। उक्त चुनाव में सुनिता पत्नी रमेश तथा सम्पत कंवर पत्नी भंवर सिंह द्वारा सरपंच पद के लिए नामांकन किया गया था। जिन दोनों ने राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार शिक्षित होने एवं दो संतान होने के संबंध में दस्तावेज नामांकन प्रस्तुत करने के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत किए थे। प्रदर्श डी–05, डी–06 मार्कशीट, प्रदर्श पी–07 है। पहचान पत्र प्रदर्श पी–08 है। परिवार कार्ड प्रदर्श पी–09 है। आधार कार्ड प्रदर्श पी–10 है। शौचालय संबंधी घोषणा पत्र प्रदर्श पी–11 है। संतान संबंधी प्रदर्श पी–12 है। एन.ओ.सी. प्रदर्श पी–13 है। उसका नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी–14 है। जिन सभी की प्रमाणित प्रतियाँ पत्रावली में शामिल हैं। प्रदर्श डी–01 व डी–02 उसके समक्ष पेश किए गए, जिनका फोटो प्रतियों से उसने मिलान किया। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसके सामने सुनिता ने उसके समक्ष इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया कि सम्पत कंवर की तीन संतानें हैं तथा फर्जी टी.सी. पेश की गई हो। वह यह नहीं बता सकता कि सम्पत कंवर ने फर्जी टी.सी. पेश की हो। उसके पुलिस बयान लिए गए या नहीं लिए गए, उसे आज याद नहीं है। प्रदर्श डी–06 का ए से बी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया। प्रदर्श डी–05 व डी–06 में कोई गलत इंद्राज नहीं है। पंचायत समिति मेडता सिटी से चुनाव के लिंए मान्य प्रमाण पत्र प्रदश पी–13 है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–13 है। प्रदर्श पी–09 में मूल राशन कार्ड से मिलान किया गया, जिसमें सम्पत कंवर की दो संतानें बताई गई हैं। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा है।

24– गवाह पीडब्लयू–12 जगदीशचंद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह वर्ष

अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 तक रा.उ.मा.वि. बसंत विहार, कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। उसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 373/दिनांक 25.01.2016 के जरिए गोपीबाई पुत्री रामलाल लोधा, निवासी गरबैलिया, जिला झालावाड़ तथा सम्पत क वर पुत्री डुंगर सिंह, पत्नी भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी दत्ताणी के कैम्ब्रिज स्कूल, कोटा से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने एवं दिनांक 15.07.1999 से आठवीं की टी.सी. जारी होने के संबंध में जाँच सुपुर्द की गई थी। उक्त आदेश के अनुसरण में उसने स्वयं जाकर उक्त स्कूल व टी.सी. के बारे में जानकारी की, तो उक्त टी.सी. में वर्णित कैम्ब्रिज स्कूल संचालित होना नहीं पाया गया। वर्ष 1992 में उक्त कैम्ब्रिज स्कूल केवल पाँचवीं तक संचालित था। सम्पत कंवर को कैम्ब्रिज स्कूल से वर्ष 1999 में आठवीं की टी.सी. उसकी जाँच में नहीं पाई गई। उसने विद्यालय संचालक नवल गौड़ का पता किया, वह कोटा में नहीं रहते हैं। दूरभाष पर बात करने पर उन्होंने बताया कि सात–आठ वर्ष पहले स्कूल बंद कर दिया गया था। जिस पर उसने अपना जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, कोटा को सुपुर्द किया था, जिसकी ऑफिस कॉपी वह आज साथ लाया है, जो प्रदर्श पी–15 है। जिसकी प्रमाणित प्रति भी प्रदर्श पी–15 है। प्रदर्श पी–15 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्र के साथ प्रदर्श डी–01 व डी–02 की फोटो प्रतियाँ थीं, जो उसने प्रदर्श पी–15 के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, कोटा को प्रेषित कर दी थीं। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसने कैम्ब्रिज स्कूल रा.उ.मा.वि. बसंत विहार की मान्यता नहीं दी थी। उसे जानकारी नहीं है कि स्कूल को मान्यता कौन देता है। वह जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है। उसने किसी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर यह जानकारी नहीं ली कि स्कूल को मान्यता कब दी गई। रजिस्टर नंबर 33/88 कैम्ब्रिज अकादमी, बसंत विहार, कोटा के संबंध में उसने कोई जाँच नहीं की। उसने जाँच 30.01.2016 को की थी। वर्ष 2010 के बाद वह उपरोक्त विद्यालय संचालित नहीं पाया गया, उससे पूर्व चलता था। उसने फोन से संचालक से संपर्क किया, तो उसने बताया कि उसने वर्ष 2010 में स्कूल बंद कर दिया था। उसने किसी स्कूल के कोई दस्तावेज नहीं देखे, क्योंकि विद्यालय वर्ष 2010 के बाद संचालित नहीं था। वर्ष 2010 के बाद मूल कागज कहाँ जमा किए गए, यह उसे पता नहीं है। उसने संचालक नवल गौड़ से बात की थी। प्रदर्श पी–15 का सी से डी हिस्सा उसने लिखवाया था। अजखुद कहा कि दो–तीन बार बाद में वापस फोन किया, तब बात हुई। उसे जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा ने जाँच करने हेतु कोई

प्रतिवेदन दिया था या नहीं, जो आज पत्रावली में मौजूद नहीं है। नवल गौड़ उसे आज दिन तक नहीं मिला है। उसने तो नवल गौड़ से फोन पर ही तफ्तीश की थी। उसके पुलिस बयान नहीं लिए गए थे। अजखुद कहा कि पुलिस वाले वर्ष 2016 में आए थे, तारीख व मिति आज उसे याद नहीं है। उसने पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए थे। उसने जिला शिक्षा अधिकारी के पास कैम्ब्रिज स्कूल के कोई दस्तावेज नहीं लिए, न ही देखे, क्योंकि वह विद्यालय संचालित नहीं था। सन् 2010 के बाद वह स्कूल बंद हो गया था। उससे पहले उक्त स्कूल किराए के भवन में चलता था। आठवीं थी या दसवीं, यह उसे पता नहीं है।

25– गवाह पीडब्लयू–13 रामअवतार शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह वर्ष 2010 में उपमुख्य कार्मिक पश्चिम से सेवानिवृत्त हुआ है। बाद में वह कोटा रहने लगा। वर्ष 2011 में उसने नवल किशोर गौड़ से उनके स्कूल कैम्ब्रिज की मान्यता खरीदी थी। लेकिन विद्यालय की भूमि व भवन उपलब्ध नहीं होने से उसने विद्यालय नहीं चलाया। अगस्त 2014 में उसने इसकी मान्यता अरमान हुसैन को दे दी थी। वर्ष 2015 के बाद पुलिस ने उससे स्कूल चलाने व टी.सी. जारी करने के बारे में पूछताछ की थी तथा सम्पत कंवर की टी.सी. जारी करने के संबंध में भी पूछताछ की थी। उसने पुलिस को बता दिया था कि मान्यता प्राप्त करने के बाद उसने न तो कोई स्कूल चलाया और न ही कोई टी.सी. जारी की थी। प्रदर्श डी–01 व डी–02 उसके द्वारा जारी नहीं किए गए थे। उक्त दस्तावेजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वर्ष 2010 में स्कूल की मान्यता थी। उसने वर्ष 2010–11 में उपरोक्त स्कूल खरीदा था, तब स्कूल दसवीं तक संचालित था। उसने उपरोक्त स्कूल को उसकी बिल्डिंग में चलाने के लिए लिया था, लेकिन उसकी बिल्डिंग का सेटलमेंट नहीं होने से उसने स्कूल नहीं चलाया था। प्रदर्श डी–07 का ए से बी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। पुलिस ने कैसे लिखा, यह उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

26– गवाह पीडब्लयू–14 सुरेन्द्र कुमार मीणा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 16.07.2016 को पुलिस थाना मेडता रोड पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस रोज थाना के मुकदमा नंबर 54/15 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु कार्यवाही के लिए थानाधिकारी श्री राजेश गजराज ने उसे सुपुर्द की थी। अनुसंधान के दौरान बयान राधेश्याम शर्मा, जगदीशचंद शर्मा, नवलकिशोर व रामअवतार के लिए जाकर शामिल पत्रावली किए

गए। फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी–02 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मौतबीर के हस्ताक्षर हैं तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त रजिस्टर जमा मालखाना करवाया गया। मालखाना की जमा प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–03 ए है। स्कूल कैम्ब्रिज अकादमी का दाखिल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। राशन रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–05 है, जो पत्रावली में शामिल की गई। सम्पत कंवर की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–07 है तथा पहचान पत्र प्रदर्श पी–08, राशन कार्ड प्रदर्श पी–09 व आधार कार्ड प्रदर्श पी–10 हैं। शपथ पत्र प्रदर्श पी–11 है। सम्पत कंवर की संतान के संबंध में प्रदर्श पी–12 है। अध्ययन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–13 है, जिसमें क्रमशः ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंत विहार के जाँच प्रतिवेदन का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–15 ए है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रारूप 04 घ, जो प्रदर्श पी–16 ए है, उस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। राजस्थान सरकार कैम्ब्रिज अकादमी की प्रमाणित टी.सी. प्रदर्श डी–06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सूचना अधिकार का फार्म परिवादी सुनिता द्वारा पेश किया गया, जिसकी दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ पत्रावली में शामिल की गई। कैम्ब्रिज स्कूल का रजिस्टर प्रमाण पत्र कार्यालय आदेश दिनांक 22.12.1994 को पत्रावली में शामिल किया गया। स्कूल का विधान पत्र भी पत्रावली में शामिल किया गया। बाद संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात मुलजिमा सम्पत कंवर के विरुद्ध जुर्म धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 18 ए व 19 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का प्रमाणित चालान उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि गवाहों के बयान उनके कहे अनुसार दर्ज किए गए। उसकी तफ्तीश में मुलजिमा के तीन बच्चे होने की बात नहीं निकली थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–02 में यह नहीं लिखा है कि सम्पत कंवर पढ़ी–लिखी नहीं है। उसकी तफ्तीश में यह आया था कि उक्त विद्यालय वर्ष 1992–93 तक चालू था। प्रदर्श पी–07 उसके द्वारा जप्त नहीं किया गया था। अजखुद कहा, उसके द्वारा पत्रावली में शामिल किया गया था। प्रदर्श डी–01 टी.सी. है, जो सही है। यह कहना गलत है कि उसने झूठी तफ्तीश की हो और आज झूठे बयान दे रहा हो।

27– पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण

का इस्तगासा प्रदर्श पी–6 परिवादिया सुनीता ने प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने साररूप में कथन किये कि ग्राम पंचायत दत्ताणी, पंचायत समिति मेड़ता (जिला नागौर) में सरपंच व वार्डपंच के चुनाव 01–02–2015 को होने थे। नामांकन प्रक्रिया 31–01–2015 को पीठासीन अधिकारी सीताराम बलाई, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मकराना द्वारा ग्राम दत्ताणी में करवाई गई। इसी दौरान मुलजिमा सम्पत कंवर पत्नी भंवरसिंह निवासी दत्ताणी ने सरपंच पद हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्थान सरकार व चुनाव विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरपंच पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना अनिवार्य थी। प्रार्थीनी के अनुसार सम्पत कंवर ने अपने नामांकन के साथ एक फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) तथा आठवीं कक्षा की कथित अंकतालिका (फॉर्म 18–A) प्रस्तुत की, जो कूटरचना कर तैयार की गई थी। इस संबंध में प्रार्थीनी ने पीठासीन अधिकारी को लिखित शिकायत देकर बताया कि प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं, किंतु अधिकारी ने जांच करने से इंकार करते हुए नामांकन निरस्त नहीं किया। परिणामस्वरूप सम्पत कंवर चुनाव मैदान में बनी रही और बाद में सरपंच पद पर निर्वाचित भी घोषित हो गई। प्रार्थीनी का मुख्यतः आरोप है कि सम्पत कंवर ने कोटा स्थित किसी विद्यालय में कभी अध्ययन नहीं किया, फिर भी उसने कथित गिरोह की मदद से फर्जी टी.सी. व अंकतालिका तैयार करवाई। साथ ही यह भी आरोप है कि सम्पत कंवर चुनाव लड़ने के लिए अन्य कारणों से भी अयोग्य थी, क्योंकि उसके तीन संतान थीं, जबकि नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना निषिद्ध था। आरोप है कि उसने अपनी पुत्री सीमाकंवर को अपने ससुर गोपालसिंह की पुत्री दर्शाकर रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज करवाई। प्रार्थीनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कोटा से संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगी, किंतु कार्यालय ने सूचित किया कि ऐसे दस्तावेज उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। इससे प्रार्थीनी को विश्वास हो गया कि दस्तावेज कूटरचना द्वारा बनाए गए हैं।

अपने परिवाद को साबित करने हेतू परिवादिया सुनीता ने पीड 09 के तौर पर परिक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत दत्ताणी के सरपंच पद के चुनाव में वह, सम्पत कंवर तथा आमना उम्मीदवार थे। उसके अनुसार सम्पत कंवर ने नामांकन भरते समय कोटा स्थित कैम्ब्रिज अकादमी की फर्जी टी.सी. व अंकतालिका प्रस्तुत कर स्वयं को आठवीं पास दर्शाया, जबकि वह कभी कोटा नहीं गई और न ही वहाँ अध्ययन किया।

उसने यह भी कथन किया कि सम्पत कंवर की तीन संतानें थीं, परन्तु नामांकन में केवल दो संतान दर्शाई गईं। उसकी बड़ी पुत्री सीमा कंवर को ससुर के नाम से दर्शाया गया। इस संबंध में उसने पीठासीन अधिकारी को शिकायत की थी, किंतु प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं कभी कोटा जाकर स्कूल में जानकारी लेने नहीं गई थी तथा उसने स्वयं पीठासीन अधिकारी को कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी थी। उसने यह भी कहा कि अब वह इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू–05 गोविंदराम ने न्यायालय साक्ष्य में जाहिर किया कि दिनांक 01 फरवरी 2015 की बात है। उस समय पंचायती राज में सरपंच के चुनाव थे। उस दिन उसने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जो दत्ताणी ग्राम पंचायत के लिए किया था। उस दिन उसके सामने प्रत्याशी सम्पत कंवर ने भी अपना पर्चा दाखिल किया था। सम्पत कंवर के पर्चा दाखिल करने पर उसे जानकारी मिली कि सम्पत कंवर ने शैक्षणिक सम्बन्धी जो कागजात लगाए थे, वे फर्जी थे एवं संतान सम्बन्धी शपथ–पत्र भी गलत पेश किया था। इसकी शिकायत उन्होंने पीठासीन अधिकारी से की थी, जिन्होंने उस शिकायत को अनसुना कर दिया था। चुनाव होने के बाद उसने निर्वाचन कार्यालय न जाकर सम्पत कंवर के नामांकन के सम्बन्ध में सभी कागजात निकलवाए, तो उसमें शैक्षणिक सम्बन्धी कागजात में टी.सी. कोटा से प्राप्त आठवीं पास करने का हवाला दे रखा था, लेकिन वह कभी कोटा में नहीं रही एवं न ही वहाँ पर पढ़ी थी। फिर वह कोटा जाकर उस स्कूल में सम्पर्क किया, तो वह स्कूल बंद पड़ी हुई मिली। उस स्कूल के संचालक नवल गौड़ से सम्पर्क किया, तो उन्होंने काफी वर्ष पूर्व स्कूल को बंद करना बताया था। उन्होंने बताया कि न तो कभी सम्पत कंवर नाम की महिला ने वहाँ पर पढ़ाई की एवं न ही उसने वहाँ प्रवेश लिया था। फिर उसने बी.ओ. कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया, तो वहाँ पर उक्त टी.सी. का सत्यापन कराया गया, जहाँ उसे उक्त टी.सी. फर्जी होना बताया गया। संतान सम्बन्धी दस्तावेजात सम्पत कंवर ने पेश किए, उसमें दो संतान होना बताया, जबकि उसकी तीन संतान हैं, जबकि उपरोक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि 01 फरवरी 2015 को उसकी ग्राम पंचायत में महिला के लिए सीट आरक्षित थी। प्रदर्श डी–01 सही है। प्रदर्श डी–02 मार्कशीट वह व सुनिता लेकर आए थे, जो सही है। उसने सम्पत कंवर के कोटा में नहीं रहने बाबत उसके पीहर से जानकारी प्राप्त की थी, जो किससे की थी, यह उसे आज पता नहीं है। साथ ही गवाह ने जाहिर

कि वह कोटा कब गया था, तारीख उसे याद नहीं है। इस प्रकार, उक्त गवाह के कथनों से गवाह के कथनों से भी अभियुक्ता की टी.सी. फर्जी/कूट रचित हो यह साबित नहीं होता है।

अन्य गवाह पीडब्ल्यू–07 हजारीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है कि फरवरी 2015 में सरपंच चुनाव हुए थे, जो ग्राम पंचायत दत्ताणी के सरपंच पद पर सम्पतकंवर पत्नी भंवरसिंह ने नामांकन किया था। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र लगाया गया था, जो मार्कशीट पेश की गई थी, वह फर्जी थी। चुनाव अधिकारियों को मौके पर बोला गया था कि गोविंदराम जी ने कहा था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। फर्जी टी.सी. का मुकदमा दर्ज कराया गया था। गोविंदराम व वह कोटा नवलजी गौड़ की स्कूल में गए थे। सम्पतकंवर का उक्त स्कूल में कोई नामांकन–संबंधी दस्तावेज नहीं था। फिर वे बी.ई.ओ. ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी सम्पतकंवर का नामांकन नहीं था। सम्पतकंवर की तीन संतानें थीं। उसने सीमा कंवर का नाम नामांकन में नहीं दिखाया था। सीमा कंवर को गोपालसिंह के नाम करा दिया गया था, जो वास्तव में भंवरसिंह की थी, जो बड़ी वाली पुत्री थी। प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 01.02.2015 को गोविंद सिरोही ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, जो चुनाव हार गया था। यह सही है कि गोविंद सिरोही ने लिखित में शिकायत दी थी। वह व गोविंद सिरोही कोटा गए थे एवं टी.सी. व मार्कशीट लेने गए थे, लेकिन स्कूल बंद थी। फिर वे तीन बार कोटा गए थे। तीन बार कोटा जाने के बाद उन्हें मार्कशीट व टी.सी. कोटा में मिली थी। अजखुद कहा, मिली नहीं थी, लिखकर दी गई थी। वह दसवीं पास है। उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। आज कोर्ट में पहली बार बयान देने आया है। वह पुलिस के साथ कभी कोटा नहीं गया था। गोविंद सिरोही सौ वोट से हारे थे। उसे सीमा कंवर का राशन कार्ड देखने का काम पड़ा था। अजखुद कहा, वर्ष 1993 में राशन कार्ड में नाम था, जिसकी प्रति मुकदमे में दी गई थी। प्रदर्श डी–05 भंवरसिंह का राशन कार्ड नहीं है, फॉर्म है, जिस पर ग्रामसेवक पदेन की सील लगी हुई है एवं साइन है। वह तीन बार कोटा वर्ष 2015 में गया था। प्रथम बार जुलाई 2015 में गया था तथा दूसरी बार अगस्त 2015 में गया था। तीसरी बार नवंबर 2015 में कोटा गया था। तीनों बार ही गोविंद सिरोही साथ था। सुनिता उनके साथ कभी कोटा नहीं गई थी। वह थाने में मुकदमा कराने नहीं गया था। अजखुद कहा, कोर्ट से मुकदमा किया था। कोर्ट में मुकदमा गोविंद सिरोही ने पेश किया था। अजखुद कहा, सुनिता ने साथ में पेश किया था। यह कहना सही है कि गोविंद सिरोही ने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन गोविंद सिरोही

ने मुकदमा किया था। इस प्रकार उक्त तीनों गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। गवाह पीडब्ल्यू–5 गोविंदराम पीड–7 हजारीराम ने अपने बयानों में उनके साथ सुनीता का कोटा जाना बताया है परन्तु पीडब्ल्यू–9 सुनीता ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वय यह स्वीकार किया कि वह कभी कोटा नहीं गई थी। साथ ही प्रकरण के 1 फरवरी 2015 को ग्राम पंचायत दत्ताणी में चुनाव हुए थे, उसमें उसकी पंचायत में वह सीट महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन पीडब्ल्यू–5 गोविंदराम पीड 07 हजारीराम ने अपने बयानों में गोविन्द द्वारा उस सीट पर चुनाव लडना बताया है, जबकि उक्त दत्ताणी पंचायत की सीट पर सुनीता के द्वारा चुनाव लडा गया था। इसके साथ ही उक्त तीनों गवाह ने निर्वाचन अधिकारी को संपत कंवर के तीन संतान होना और उसकी मार्कशीट व टी.सी. के फर्जी होने के संदर्भ में शिकायत करना बताया है लेकिन निर्वाचन अधिकारी पीड 11 सीताराम ने स्वयं अपने बयानों में सुनीता व गोविंदराम के द्वारा उनसे इस प्रकार के किसी शिकायत किए जाने से स्पष्ट तौर से इंकार किया है।

इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू–08 लच्छाराम, जो ग्राम सेवक है, ने भी पंचायत रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि संपतकंवर के दो संतान दर्ज हैं। यह परिवादीनी के उस आरोप के विपरीत है, जिसमें अभियुक्ता के तीन संतान होने की बात कही गई थी।

प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू–11 सीताराम, जो चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी थे, ने स्पष्ट कथन किया कि अभियुक्ता ने नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि उसके सामने सुनिता ने कोई प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश नहीं किया कि सम्पत कंवर के तीन संतान हो तथा सम्पत कंवर की टी.सी.फर्जी हो।

इसी प्रकार, हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पीडब्ल्यू–01 बाबूलाल तथा पीडब्ल्यू–02 कैलाश पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने कथन किया कि अभियुक्ता द्वारा पुलिस के समक्ष अपनी मूल शैक्षणिक टी.सी. एवं अंकतालिका प्रस्तुत की गई थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–01 तैयार की गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिपरीक्षा में पीडब्ल्यू–01 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रदर्श डी–01 एवं डी–02 अभियुक्ता की मूल टी.सी. एवं अंकतालिका हैं तथा वे सही हैं। इस प्रकार यह गवाह स्वयं अभियोजन के आरोप को पुष्ट करने के स्थान पर अभियुक्ता के दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार करता है। फर्द जब्ती के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–04 हनुमानसिंह

ने भी प्रवेश रजिस्टर की जब्ती की पुष्टि की, किंतु प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि रजिस्टर पर पुलिस ने कोई सील नहीं लगाई तथा नवल किशोर के हस्ताक्षर बाद में करवाए गए।

इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू–03 रामलाल, जो मालखाना इंचार्ज था, ने प्रवेश रजिस्टर को मालखाने में जमा कराने की बात कही, किंतु प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उक्त रजिस्टर सील पैक नहीं किया गया था तथा मालखाना रजिस्टर में माल जमा करवाने वाले के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

आगे गवाह पीडब्लयू–13 रामअवतार शर्मा ने न्यायालय साक्ष्य में जाहिर किया कि वह वर्ष 2010 में उपमुख्य कार्मिक पश्चिम से सेवानिवृत्त हुआ है। बाद में वह कोटा रहने लगा। वर्ष 2011 में उसने नवल किशोर गौड़ से उनके स्कूल कैम्ब्रिज की मान्यता खरीदी थी, लेकिन विद्यालय की भूमि व भवन उपलब्ध नहीं होने से उसने विद्यालय नहीं चलाया। वर्ष 2015 के बाद पुलिस ने उससे स्कूल चलाने व टी.सी. जारी करने के बारे में पूछताछ की थी तथा सम्पत कंवर की टी.सी. जारी करने के संबंध में भी पूछताछ की थी। उसने पुलिस को बता दिया था कि मान्यता प्राप्त करने के बाद उसने न तो कोई स्कूल चलाया और न ही कोई टी.सी. जारी की थी। प्रदर्श डी–01 व डी–02 उसके द्वारा जारी नहीं किए गए थे। उक्त दस्तावेजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा गवाह ने प्रतिपरीक्षा में जाहिर किया कि वर्ष 2010 में स्कूल की मान्यता थी। उसने वर्ष 2010–11 में उपरोक्त स्कूल खरीदा था, तब स्कूल दसवीं तक संचालित था। प्रदर्श डी–07 का ए से बी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। इस गवाह के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

अभियोजन की ओर से पेश किए गए अन्य गवाह पीडब्ल्यू–12 जगदीशचंद ने न्यायालय साक्ष्य में जाहिर किया कि वह वर्ष अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 तक रा.उ.मा.वि. बसंत विहार, कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। उसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 373/दिनांक 25.01.2016 के जरिए गोपीबाई पुत्री रामलाल लोधा, निवासी गरबैलिया, जिला झालावाड़ तथा सम्पत क वर पुत्री डुंगर सिंह, पत्नी भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी दत्ताणी के कैम्ब्रिज स्कूल, कोटा से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने एवं दिनांक 15.07.1999 से आठवीं की टी.सी. जारी होने के संबंध में जाँच सुपुर्द की गई थी। उक्त आदेश के अनुसरण में उसने स्वयं जाकर उक्त स्कूल व टी.सी. के बारे में जानकारी की, तो उक्त टी.सी. में वर्णित कैम्ब्रिज स्कूल

संचालित होना नहीं पाया गया। वर्ष 1992 में उक्त कैम्ब्रिज स्कूल केवल पाँचवीं तक संचालित था। सम्पत कंवर को कैम्ब्रिज स्कूल से वर्ष 1999 में आठवीं की टी.सी. उसकी जाँच में नहीं पाई गई। उसने विद्यालय संचालक नवल गौड़ का पता किया, वह कोटा में नहीं रहते हैं। दूरभाष पर बात करने पर उन्होंने बताया कि सात–आठ वर्ष पहले स्कूल बंद कर दिया गया था। जिस पर उसने अपना जाँच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, कोटा को सुपुर्द किया था, जिसकी ऑफिस कॉपी वह आज साथ लाया है, जो प्रदर्श पी–15 है, परंतु प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि उसने कैम्ब्रिज स्कूल रा.उ.मा.वि. बसंत विहार की मान्यता नहीं देखी थी। उसे जानकारी नहीं है कि स्कूल को मान्यता कौन देता है। उसने किसी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर यह जानकारी नहीं ली कि स्कूल को मान्यता कब दी गई। रजिस्टर नंबर 33/88 कैम्ब्रिज अकादमी, बसंत विहार, कोटा के संबंध में उसने कोई जाँच नहीं की। उसने जाँच 30.01.2016 को की थी। वर्ष 2010 के बाद वह उपरोक्त विद्यालय संचालित नहीं पाया गया, उससे पूर्व चलता था। उसने फोन से संचालक से संपर्क किया, तो उसने बताया कि उसने वर्ष 2010 में स्कूल बंद कर दिया था। उसने किसी स्कूल के कोई दस्तावेज नहीं देखे, क्योंकि विद्यालय वर्ष 2010 के बाद संचालित नहीं था। वर्ष 2010 के बाद मूल कागज कहाँ जमा किए गए, यह उसे पता नहीं है। उसे जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा ने जाँच करने हेतु कोई प्रतिवेदन दिया था या नहीं, जो आज पत्रावली में मौजूद नहीं है। नवल गौड़ उसे आज दिन तक नहीं मिला है। उसने तो नवल गौड़ से फोन पर ही तफ्तीश की थी। उसने पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए थे। उसने जिला शिक्षा अधिकारी के पास कैम्ब्रिज स्कूल के कोई दस्तावेज नहीं लिए, न ही देखे, क्योंकि वह विद्यालय संचालित नहीं था। सन् 2010 के बाद वह स्कूल बंद हो गया था। उससे पहले उक्त स्कूल किराए के भवन में चलता था। आठवीं थी या दसवीं, यह उसे पता नहीं है। इस प्रकार, गवाह पीडब्ल्यू–12 के बयान से स्पष्ट है कि उसकी जाँच अपूर्ण, सतही और दस्तावेजों के अभाव में की गई थी। उसने न तो विद्यालय की मान्यता की जांच की, न ही कोई आधिकारिक दस्तावेज देखे। उसके द्वारा की गई जाँच मुख्यतः मौखिक जानकारी, विशेषकर दूरभाष वार्ता पर आधारित है। उसने संबंधित रजिस्टर, पंजीयन या अन्य रिकॉर्ड की जाँच नहीं की। उक्त गवाह को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच सौंपें जाने सें संबंधित आदेश भी अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू–06 नवलकिशोर गौड़, जो कथित विद्यालय से संबंधित गवाह है, ने जाहिर किया कि कैम्ब्रिज अकादमी विद्यालय वर्ष 1988 में खोला गया था, जो पाँचवीं कक्षा तक था। छठी कक्षा वर्ष 1991 में चलाई गई थी। उसके स्कूल के प्रवेशांक रजिस्टर 1989 का अवलोकन किया गया, तो क्रम संख्या 54 पर सम्पत कंवर पुत्री डुंगरसिंह राजपूत, निवासी बड़गांव का नाम दर्ज नहीं था तथा क्रम संख्या 54 पर एकता शर्मा पुत्री ओ.पी. शर्मा का पंजीयन था। सम्पत कंवर ने उसके विद्यालय में न तो प्रवेश लिया था और न ही वह वहाँ पढ़ी थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–02 प्रवेश रजिस्टर है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय के समक्ष एक रजिस्टर आर्टिकल–1 कोर्ट एफ.सी. जगदीश ने पेश किया। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि कैम्ब्रिज अकादमी विद्यालय, कोटा का अध्यक्ष वह स्वयं था। उक्त स्कूल सोसायटी चलाती थी। उक्त स्कूल को वर्ष 2008 में बंद कर दिया गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार कि वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक आर्टिकल–1 का सत्यापन या ऑडिट नहीं कराया गया था। आगे यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल–1 पर पेज नंबर 1 से लेकर 28 तक उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, अंतिम पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल–1 पर पुलिस ने उसके कहीं भी रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं कराए थे। आर्टिकल–1 प्रवेश रजिस्टर है, जिसमें कोई विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो उसकी प्रविष्टि होती है तथा फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। स्कूल बंद करने के बाद उसने प्रवेश रजिस्टर जमा नहीं कराया था। आगे कथन किया कि वर्ष 1991 से छठी कक्षा चालू की गई थी। आगे गवाह ने कथन किया कि टी.सी. जारी की जाती थी तब उसका इंद्राज किया जाता था, लेकिन किन–किन को टी.सी. जारी की गई, इसकी प्रति उसने पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस ने उससे स्कूल के पंजीयन क्रमांक के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। सोसायटी में कौन–कौन सदस्य थे, उसे याद नहीं है। स्वीकार किया कि आर्टिकल–1 में उसके स्कूल का पंजीयन क्रमांक दर्ज नहीं है। उसके स्कूल में सन् 1988 से 2008 तक कौन–कौन प्रधानाध्यापक थे, उसे आज याद नहीं है। उसके स्कूल में उसके अलावा कोई अन्य प्रधानाध्यापक नहीं था। पुलिस ने उससे ऐसा कोई दस्तावेज नहीं माँगा था, जिससे यह सिद्ध हो कि वह इस स्कूल का प्रधानाध्यापक, संचालक या अध्यक्ष था। अतः गवाह के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रवेश रजिस्टर विश्वसनीय और प्रमाणिक नहीं है। उसमें आवश्यक हस्ताक्षर, सत्यापन तथा पंजीयन संबंधी महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव है। रजिस्टर का कभी ऑडिट या

सत्यापन नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विद्यालय संबंधी अभिलेखों की प्रामाणिकता संदेहास्पद प्रतीत होती है।

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–10 छीतरसिंह ने अपने बयानों में कथन किया कि अभियुक्ता ने अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसने स्कूल संचालक से कोई तफ्तीश नहीं की तथा दस्तावेजों की सत्यता की गहन जांच नहीं की।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–14 सुरेन्द्र कुमार मीणा, अन्वेषण अधिकारी, ने अपने कथन में कहा कि अनुसंधान के बाद अभियुक्ता के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया, किंतु प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसकी जांच में अभियुक्ता के तीन संतान होने का तथ्य सामने नहीं आया तथा प्रदर्श डी–01 टी.सी. सही है। उसने यह भी कथन किया कि उसकी तफ्तीश में आया था कि उक्त विद्यालय 1992–93 तक चालु था। प्रदर्श डी–01 (टी.सी.) एवं प्रदर्श डी–02 (अंकतालिका) अभियुक्ता के मूल शैक्षणिक दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों को कई गवाहों ने सही होना स्वीकार किया है। अभियोजन इन दस्तावेजों को फर्जी सिद्ध करने हेतु कोई ठोस वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त, प्रवेश रजिस्टर (आर्टिकल–1) के संबंध में भी जब्ती प्रक्रिया में अनेक त्रुटियाँ पाई गईं। रजिस्टर को सील पैक नहीं किया गया, न ही उसके सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यालय के संचालन एवं अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में भी स्पष्टता नहीं है।

इस प्रकार, अभियोजन साक्ष्य के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाह पीडब्ल्यू– 09 सुनीता पीडब्ल्यू–5 गोविंदराम व पीडब्ल्यू–7 हजारीराम के बयानों में आपस में गंभीर विरोधाभास है। स्वयं परिवादीनी पीडब्ल्यू–09 सुनीता ने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा शिकायत करना बताया, जबकि प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि शिकायत उसके जेठ गोविंदजी सिरोही ने की थी। उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी–06 को अपनी बताई, परंतु उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना स्वीकार किया। उसने फर्जी टी.सी. एवं रिकॉर्ड के संबंध में ठोस जानकारी होने का दावा किया, जबकि स्वयं कभी कोटा जाकर जाँच नहीं की। गवाह पीडब्ल्यू–05 गोविंदराम व पीडब्ल्यू–07 हजारीराम ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है कि सुनीता कोटा नहीं गई थी, केवल वे दोनों ही कोटा गए थे। गोविंद राम व सुनीता ने निर्वाचन

अधिकारी को सम्पकंवर के तीन संतान होने एवं उसके द्वारा पेश मार्कशीट व टी.सी. फर्जी होने की शिकायत करना बताया, लेकिन निर्वाचन अधिकारी पीडब्ल्यू–11 सीताराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि गोंविदरराम व सुनीता द्वारा उसके पास शिकायत नहीं की थी। गोविंदराम व हजारीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में गोंविदराम के द्वारा चुनाव लड़ना भी बताया है, जबकि ग्राम पंचायत दत्ताणी की सीट महिला सीट के तौर पर आरक्षित थी और इस तथ्य को गोंविदराम ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त उक्त तीनों गवाह ने अभियुक्ता के तीन संतान होना भी बताया है, जबकि अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में अभियुक्ता के दो संतान होना ही प्रमाणित पाया है तथा इस तथ्य की पुष्टि अभियोजन गवाह पीडबल्य–8 लच्छाराम ने भी अपने बयानों में की है। उक्त तीनों गवाहों के बयानों में आए विरोधाभास से उनके कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।

इस संपूर्ण घटना क्रम में संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी महत्वपूर्ण साक्षी था, जिसे न्यायालय द्वारा साक्ष्य में उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी वह न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं आया। अभियोजन के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–12 जगदीशचंद को अभियुक्ता की टी.सी. एवं प्रवेश के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे जांच सुपुर्द करना बताया है, परंतु अभियोजन की ओर से जिस आदेश के तहत गवाह जगदीशचंद ने उक्त जांच सौंपी गई, उस आदेश को प्रदर्शित नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया सम्पत कंवर की कैम्ब्रिज स्कूल से वर्ष 1999 में आठवीं की टी.सी. उसकी जांच में सही नहीं पाई गई एवं दूरभाष पर बात करने पर स्कूल संचालक नवल किशोर ने उसे बताया कि सात–आठ वर्ष पहले स्कूल बंद कर दिया गया था, जबकि प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने स्कूल कैम्ब्रिज अकादमी कोटा में जाकर कोई दस्तावेज चैक नहीं किये और गवाह नवल किशोर शर्मा से फोन पर ही बात की थी। उक्त गवाह पीडब्ल्यू–12 जगदीशचंद ने विवादित दस्तावेजों (टी.सी., मार्क शीट) के संदर्भ में स्वयं स्कूल के एसआर रजिस्टर व स्कूल की मान्यता और स्कूल के अपग्रेडेशन के संदर्भ में संबंधित दस्तावेजों को स्वयं भौतिक सत्यापन नहीं किया था तथा संपूर्ण जांच फोन पर की थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त गवाह पीडब्ल्यू–12 जगदीशचन्द द्वारा की गई जांच दस्तावेजों पर आधारित न होकर मात्र गवाह नवलकिशोर से फोन पर की गई बातों पर ही आधारित है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

इसी क्रम में गवाह नवल किशोर शर्मा पीडब्ल्यू–6 ने अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर किया कि सम्पत कंवर उसके विद्यालय में ना तो एडमिशन लिय अैर ना ही पढ़ी थी तथा विवादित रजिस्टर आर्टिकल–1 के क्रम संख्या 54 पर संपत कंवर के स्थान पर एकता शर्मा का नाम अंकित है। गवाह ने रजिस्टर पर ई से एफ पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह नवल किशोर शर्मा ने स्वयं को स्कूल का अध्यक्ष होना बयानों में बताया है, परंतु अभियोजन की ओर से नवल किशोर शर्मा के अध्यक्ष होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाए हैं। अभियोजन की ओर से कैम्ब्रिज अकादमी मान्यता प्राप्त होने के संबंध में, स्कूल का अपग्रेडेशन कौनसे सन् में हुआ, उसके संदर्भ में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवायी गई है। साथ ही गवाह ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि उपरोक्त स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन गवाह नवल किशोर ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं स्वीकार किया कि सोसायटी के मेम्बर कौन थे, व उनके नाम क्या थे,उसे याद नहीं है।

ऐसी स्थिति में जबकि स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसके उपरांत भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा सोसायटी के मेम्बर्स और तत्कालीन प्रधानाध्यापकों से कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। साथ ही सन् 1989 से 1992 तक स्कूल के प्रधानाध्यपक के तौर पर कौन व्यक्ति कार्यरत था, जिनके द्वारा स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और टी.सी. जारी की जाती थी, उनसे भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा केवल सतही अनुसंधान किया गया है। आगे गवाह नवल किशोर पीडब्लयू–6 ने आर्टिकल–1 प्रवेशांक रजिस्टर प्रदर्शित करवाया है, लेकिन इस गवाह ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उक्त रजिस्टर उसके द्वारा संधारित किया जाता था और बच्चों को स्कूल में प्रवेश उसके द्वारा दिया जाता था या बच्चों की टी.सी. जारी की जाती थी। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू–4 हनुमानसिंह जो कि फर्द जप्ती का औपचारिक गवाह है, जिसने न्यायालय साक्ष्य में स्वीकार किया कि रजिस्टर दिनांक 17 अगस्त 2016 को जप्त किया था एवं उसके समक्ष आर्टिकल–1 पर नवल किशोर के हस्ताक्षर करवाये थे। , जिससे आर्टिकल–1 रजिस्टर का निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुसंधान संधारण किया जाना संदेहास्पद है। अभियोजन की ओर से तत्कालीन प्रधानाध्यापक को भी गवाह के तौर पर पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया

है। अभियोजन द्वारा स्कूल के प्रवेश रजिस्टर आर्टिकल 01 के आधार पर सम्पतकंवर की टी.सी. और अंकतालिका को फर्जी होना बताया गया है, परंतु उक्त रजिस्टर आर्टिकल–1 जिस प्रधानाध्यापक द्वारा संधारित किया गया उसे साक्षी के रूप में पेश कर रजिस्टर आर्टिकल–1 को प्रदर्शित नहीं करवाया गया अतः विधिनुसार आर्टिकल को प्रदर्शित नहीं करवाए जाने से उक्त रजिस्टर आर्टिकल–1 साक्ष्य में पठनीय नहीं है। एसी स्थिति में उपरोक्त रजिस्टर के आधार पर अभियुक्ता की अंकतालिका व टी.सी. को फर्जी/कूटरचित माना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि यदि साक्ष्यों में संदेह की स्थिति हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण के पश्चात न्यायालय के मतानुसार, अभियोजन पक्ष अभियुक्ता सम्पत कंवर के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्ता सम्पत कंवर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 420, 467, 468, 471 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 18ए के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

28– परिणामतः अभियुक्त सम्पत कंवर पत्नी भंवरसिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी दताणी, थाना मेड़ता रोड़, जिला नागौर को अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 18ए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

29– अभियुक्ता को धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस हजार रूपये के जमानत व मुचलके पेश करने का आदेश दिया जाता है जो आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेड़ता

30– निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेड़ता

परिशिष्ट

गवाहान की सूची

(क) अभियोजन		
क्रमांक	गवाह का नाम	प्रकृति
पीडब्लयू–1	बाबुलाल	मौतबीर फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्ट्रार क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा
पीडब्लयू–2	कैलाश	मौतबीर फर्द पेशकर्ता शैक्षणिक दस्तावेज संपत कंवर द्वारा
पीडब्लयू–3	रामलाल	मालखाना
पीडब्लयू–4	हनुमान सिंह	मौतबीर फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्ट्रार क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा
पीडब्लयू–5	गोविंद राम	गवाह
पीडब्लयू–6	नवल किशोर	गवाह
पीडब्लयू–7	हजारीराम	गवाह
पीडब्लयू–8	लच्छाराम	संतान की संख्या बाबत गवाह
पीडब्लयू–9	सुनीता	परिवादिया
पीडब्लयू–10	छीतर सिंह	कायमी मुकदमा/तफ्तीशी हालात
पीडब्लयू–11	सीताराम	टी.सी. संबंधी गवाह
पीडब्लयू–12	जगदीशचंद	गवाह
पीडब्लयू–13	रामअवतार शर्मा	गवाह
पीडब्लयू–14	सुरेन्द्र कुमार मीणा	तफ्तीशी हालात व चार्जशीट कता संबंधी

(ख) प्रतिरक्षा			
क्रमांक	गवाह का नाम	प्रकृति	गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज
(ग) न्यायालय			
–	–	–	

प्रदर्श सूची

(क) अभियोजन			
क्रमांक	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शित करवाने वाले/साबित करने वाले/हस्ताक्षर करने वाले गवाह का नाम
1	प्रदर्श पी–1	फर्द जप्ती शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिका	PW–01 बाबूलाल, PW–02 कैलाश, PW–10 छीतरसिंह
2	प्रदर्श पी–2	फर्द जप्ती प्रवेश रजिस्टर 1988–1992–93	PW–01 बाबूलाल, PW–04 हनुमानसिंह, PW–06 नवलकिशोर, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
3	प्रदर्श पी–3 ए	रजिस्टर मालखाना की प्रति	PW–03 रामलाल
4	प्रदर्श पी–4 ए	क्रैम्ब्रिज अकादमी का दाखिला	PW–14 सुरेन्द्र मीणा

		रजिस्टर की प्रति	
5	प्रदर्श पी–5	पंचायत रजिस्टर	PW–08 लच्छाराम
6	प्रदर्श पी–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट	PW–09 सुनीता, PW–10 छीतरसिंह
7	प्रदर्श पी–6	टाईपशुदा रिपोर्ट	PW–09 सुनीता, PW–10 छीतरसिंह
8	प्रदर्श पी–7	मार्कशीट कक्षा 8 सम्पत कंवर की प्रमाणित प्रति	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
9	प्रदर्श पी–8	पहचान पत्र	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
10	प्रदर्श पी–9	परिवार कार्ड भंवरसिंह	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
11	प्रदर्श पी–10	आधार कार्ड सम्पत कंवर	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
12	प्रदर्श पी–11	स्वच्छ शौचालय के संबंध में अण्डरटेकिंग	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
13	प्रदर्श पी–12	शपथ–पत्र सम्पत कंवर	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
14	प्रदर्श पी–13	अदेय प्रमाण–पत्र	PW–11 सीताराम, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
15	प्रदर्श पी–14	रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्त का आदेश	PW–11 सीताराम
16	प्रदर्श पी–15 ए	जांच प्रतिवेदन द्वारा आदर्श राज. उच्च मा. वि. बसन्त विहार कोटा	PW–12 जगदीशचंद, PW–14 सुरेन्द्र मीणा
17	प्रदर्श पी–16	प्रारूप घ	PW–14 सुरेन्द्र मीणा

आर्टिकल

क्रमांक	**आर्टिकल संख्या**	**आर्टिकल का नाम**
1	आर्टिकल–1	जप्तशुदा रजिस्टर

प्रतिरक्षा दस्तावेज

क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**दस्तावेज का नाम**
1	प्रदर्श डी–1	टी.सी. क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा श्रीमती सम्पत कंवर
2	प्रदर्श डी–2	मार्कशीट असल सम्पत कंवर कक्षा 8
3	प्रदर्श डी–3	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी गोविंदराम
4	प्रदर्श डी–4	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी नवल किशोर
5	प्रदर्श डी–4	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी सुनीता
6	प्रदर्श डी–5	राशन कार्ड ए.पी.एल. बनवाने हेतु आवेदन पत्र भंवरसिंह
7	प्रदर्श डी–5	ग्राम पंचायत दताणी द्वारा थानाधिकारी को पत्र वास्ते राशन कार्ड की प्रति
8	प्रदर्श डी–5	नाम निर्देशन पत्र सम्पत कंवर
9	प्रदर्श डी–6	क्रैम्ब्रिज अकादमी कोटा श्रीमती सम्पत कंवर
10	प्रदर्श डी–6	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी सीताराम
11	प्रदर्श डी–7	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी रामअवतार